भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1181

मंगलवार, 11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्टअप की वर्तमान स्थिति

1181. श्री चरनजीत सिंह चन्नी

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दस वर्षों के दौरान शुरू किए गए स्टार्टअप की कुल संख्या और वर्तमान स्थिति क्या है तथा अच्छी तरह से चल रहे और बंद हो चुके स्टार्टअप की संख्या कितनी है।

(ख) उक्त अवधि के दौरान अच्छी तरह से चल रहे स्टार्टअप से सरकार को कुल कितना वित्तीय लाभ हुआ है और बंद हो चुके स्टार्टअप से कितना वित्तीय नुकसान हुआ है; और

(ग) सरकार द्वारा नए स्टार्टअप शुरू करने में कुल कितना समय लिया गया है और सरकार द्वारा नए स्टार्टअप शुरू करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): सरकार ने नवप्रयोग, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए के लिए सुदृढ़ इकोसिस्टम का निर्माण करने के उद्देश्य से 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की।

दिनांक 19 फरवरी 2019 की सा.का.नि. अधिसूचना 127 (अ) में निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कंपनियों को 'स्टार्टअप' के रूप में मान्यता दी जाती है। 31 दिसंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, कुल 1,57,706 कंपनियों को स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता दी गई है।

31 दिसंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप्स के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या तथा 5 दिसंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त उन कंपनियों की संख्या, जिन्हें कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के अनुसार बंद (यानी, भंग/हटाया गया) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख): स्टार्टअप इंडिया पहल के भाग में रूप में किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप, 31 दिसंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा 55 उद्योगों की 1,57,706 कंपनियों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है जिन्होंने 17.2 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियों के सृजन की सूचना दी है। स्टार्टअप्स के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियां देश के प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में मौजूद हैं। विशेष रूप से, सरकार द्वारा स्टार्टअप्स की वित्तीय लाभ/हानि से संबंधित सूचना केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

(ग): सरकार ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें विनियामक वातावरण को आसान बनाने तथा अनुकूल व्यावसायिक वातावरण सृजित करने के लिए व्यवसाय शुरू करना, पूंजी जुटाना तथा अनुपालन बोझ कम करना शामिल है। इन पहलों का उद्देश्य

स्टार्टअप्स सहित अर्थव्यवस्था की सभी कंपनियों /क्षेत्रों/उद्योगों तक लाभ पहुंचाना है। इन पहलों के मुख्य फोकस क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

i. आवेदन, नवीकरण, निरीक्षण, फाइलिंग रिकॉर्ड आदि से संबंधित प्रक्रियाओं का सरलीकरण,
ii. अनावश्यक कानूनों को निरस्त, संशोधित या समाहित करके युक्तिसंगत बनाना,
iii. ऑनलाइन इंटरफेस बनाकर डिजिटलीकरण करना जिससे मैनुअल फॉर्म और रिकॉर्ड की आवश्यकता समाप्त हो जाए,
iv. गौण प्रकृति के तकनीकी और प्रक्रियागत चूकों का गैर-अपराधीकरण।

व्यवसाय की स्थापना और व्यवसाय करने को आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं:-

i. निगमन प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिए निगमन हेतु केंद्रीयकृत कंपनी रजिस्ट्रार (सीआरसी) की स्थापना।
ii. कंपनी के निगमन के समय नाम आरक्षण, निगमन, पैन, टैन, डीआईएन आबंटन, ईपीएफओ पंजीकरण, ईएसआईसी पंजीकरण, जीएसटी नंबर, बैंक खाता खोलने आदि जैसी विभिन्न सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए ई-फॉर्म एसपीआईसीई+ के साथ-साथ एजीआईएलई प्रो-एस नामक लिंक्ड फॉर्म की शुरुआत की गई है, ताकि व्यवसाय को तुरंत शुरू किया जा सके। इसी तरह, एक ही आवेदन में समान सेवाएं प्रदान करने के लिए नया ई-फॉर्म फिलिप (एलएलपी के निगमन के लिए फॉर्म) शुरू किया गया।
iii. 15.00 लाख रुपए तक की अधिकृत पूंजी वाली कंपनी के निगमन के लिए शून्य शुल्क
iv. लघु कंपनी की परिभाषा में संशोधन किया गया है, जिसमें लघु कंपनी की सीमा को 2.00 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4.00 करोड़ रुपए और कारोबार को 20.00 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी प्रकार, लघु एलएलपी की अवधारणा शुरू की गई है जो कम अनुपालन, कम शुल्क के अध्यधीन है ताकि अनुपालन की लागत को कम किया जा सके।
v. किसी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थानांतरण के लिए शून्य लागत।
vi. वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के जरिए किसी कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और असाधारण आम बैठक (ईजीएम) बुलाना।

सरकार ने भारत में निवेशकों, उद्यमियों और व्यवसायों द्वारा आवश्यक अनुमोदन और मंजूरी की पहचान करने एवं प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए सिंगल प्लेटफॉर्म प्रदान करने हेतु नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) की भी शुरुआत की है। एनएसडब्ल्यूएस विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सभी गवर्नमेंट टू बिजनेस (जी2बी) मंजूरी हेतु आवेदन करने के लिए सिंगल इंटरफ़ेस प्रदान कर रहा है और साथ ही सिंगल निवेशक प्रोफ़ाइल के आधार पर विभिन्न अनुमोदनों में फ़ॉर्म फ़ील्ड को स्वचालित रूप से भरकर काम के दोहराव को समाप्त कर रहा है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 11.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1181 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

31 दिसंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप्स के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या तथा 5 दिसंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त उन कंपनियों की संख्या, जिन्हें कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के अनुसार बंद (यानी, भंग/हटाया गया) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, निम्नानुसार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप्स के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियों की संख्या**	**स्टार्टअप्स के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियों की संख्या जिन्हें बंद (अर्थात् भंग/हटाए गए) कंपनियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	71	3
आंध्र प्रदेश	2553	101
अरुणाचल प्रदेश	47	1
असम	1487	56
बिहार	3190	86
चंडीगढ़	532	19
छत्तीसगढ़	1736	51
दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव	64	-
दिल्ली	16082	593
गोवा	587	21
गुजरात	13053	232
हरियाणा	8222	243
हिमाचल प्रदेश	563	11
जम्मू और कश्मीर	988	34
झारखंड	1477	59
कर्नाटक	16624	644
केरल	6361	197
लद्दाख	18	-
लक्षद्वीप	3	-
मध्य प्रदेश	5093	149
महाराष्ट्र	27925	929
मणिपुर	179	9
मेघालय	62	4
मिजोरम	41	3
नागालैंड	85	4
ओडिशा	2769	109
पुदुच्चेरी	161	6
पंजाब	1741	38
राजस्थान	5567	160
सिक्किम	12	1
तमिलनाडु	10577	269
तेलंगाना	8243	301
त्रिपुरा	141	9
उत्तर प्रदेश	15019	487
उत्तराखंड	1268	49
पश्चिम बंगाल	5165	185
कुल	**1,57,706**	**5,063**

*****